अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखाप्रित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

2.12.2020

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

19.12.2020

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न कागजात तथा संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदनानुसार प्रश्नगत मौजा रौतारा थाना सं0 372 के गैरमजरूआ खाता 43 खेसरा सं0 360 खतियानी रकवा 04–00–19 धूर किस्म. परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में दर्ज है। इसी मौजा के पंजी 2 अवलोकन से पाया कि खाता सं0– 43/8 में खेसरा सं0– 360 के अन्दर अंश रकवा 00–03–15 धूर भूमि अं0अ0 गोड्डा के नामांतरण वाद सं0– 19/02–03 से श्रीमति कृष्णा देवी पति शिशिर कुमार झा के नाम से कायम है। विदित होकि नामांतरण वाद सं0 84/1989–90 के अभिलेख में माननीय उच्च न्यायालय पटना के CWJC no. 738/1967 का उल्लेख करते हुए खेसरा सं0 360 की भूमि ब्रिकी करने की अनुमती देते हुए बसौढी करने का जिक है। CWJC no. 738/1967 में पारित आदेशानुसार **मौजा रौतारा थाना सं0 372 के गैरमजरूआ खाता 43 खेसरा सं0 360 खतियानी रकवा 04–00–19 धूर भूमि पर जो भी रैयत हैं उन्हें बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत Occupancy रैयत का दर्जा दिया जाय तथा रैयतों द्वारा उक्त जमीन की खरीद–बिकी पर किसी प्रकार का रोक नही लगाया जाय।** प्रश्नगत खेसरा की भूमि को संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत बसौढी श्रेणी की भूमि मानकर विभिन्न रैयतो के द्वारा खरीद–बिकी भी किया गया है। स्थलीय जांच में पाया कि पंजी 2 में कायम प्रश्नगत खाताधारी का उक्त भूमि पर मकान के रूप में शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त खाता अवैध/संदेहासपद के श्रेणी में नही आता है तथा इनके द्वारा वाद को संचिकास्त करने की अनुशंसा की गई है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04 स0भू0(दिशा–निदेश) 95/2016, 2074/राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग दिनांक 13.05.2016 के आलोक में मौजा रौतारा थाना सं0 372 के गैरमजरूआ खाता 43 खेसरा सं0 360 के अंश रकवा 00–03–15 धूर भूमि श्रीमति कृष्णा देवी पति शिशिर कुमार झा के नाम से संधारित अबैध/संदेहास्पद कायम खाता–43/8 अवैध/संदेहास्पद खाता की श्रेणी में नही रहने के कारण वाद को संचिकास्त की जाती है।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखाप्रित

अंचल अधिकारी,
गोड्डासदर।

17.12.2020

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।